

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./06/2024

1. नीलमचन्द पुत्र लालूराम जाति भांबी निासी बरसनी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र उगमा जाति मेघवन्शी निवासी गुढाखुर्द जिला अजमेर
2. महावीर पुत्र कुन्दनमल जाति मेघवन्शी निवासी गुढाखुर्द जिला अजमेर
3. हीरालाल पुत्र मोहनलाल जाति मेघवन्शी निवासी गुढाखुर्द जिला अजमेर
4. शंकर पुत्र सुवालाल जाति खटीक निवासी गुढाखुर्द जिला अजमेर
5. प्रकाश पुत्र उगमा जाति मेघवन्शी निवासी गुढाखुर्द जिला अजमेर
6. कन्हैयालाल पुत्र गंगाराम जाति ब्राह्मण निवासी गुढाखुर्द जिला अजमेर (विलोपित)
7. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय भिनाय, तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज.)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम


निर्णय दिनांक:-31.12.2024



- उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री धर्मवीर बामनियां
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा गुढाखुर्द पटवार क्षेत्र गुढाखुर्द भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां के खाता सं0 182 में दर्ज खसरा नम्बर 1627 रकबा 1.84, खसरा नम्बर 1631 रकबा 1.62, खसरा नम्बर 1638 रकबा 1.62, खसरा नम्बर 1639 रकबा 1.39, खसरा नम्बर 1640 रकबा 0.18, खसरा नम्बर 1645 रकबा 0.05, खसरा नम्बर 1660 रकबा 1.62, खसरा नम्बर 1661 रकबा 0.81, खसरा नम्बर 1661/2986 रकबा 0.80, खसरा नम्बर 1662 रकबा 0.80, खसरा नम्बर 165 रकबा 1.62, खसरा नम्बर 1666 रकबा 1.62, खसरा नम्बर 1669 रकबा 0.81, खसरा नम्बर 1675 रकबा 0.81, खसरा नम्बर 1685 रकबा 0.97, खसरा नम्बर 1691 रकबा 0.89, खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.52, खसरा नम्बर 1698/3063 रकबा 0.29, खसरा नम्बर 1712/2988 रकबा 0.81, खसरा नम्बर 1715 रकबा 0.95, खसरा नम्बर 1727 रकबा 0.18, खसरा नम्बर 1732 रकबा 0.36, खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.27, और खसरा नम्बर 1739 रकबा 0.22 कुल किता 24 कुल रकबा 21.05 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काशत की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 लगायत 06, द्वारा प्रार्थी की कब्जे काशत भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 07 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी बाबत् जारी नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 की नियमानुसार पत्रावली में तलबी उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

का नाम पत्रावली से विलोपित करने बाबत, वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार होने से, अप्रार्थी संख्या 06 का नाम पत्रावली में जवाब सरकार पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का संख्या 182 संवत् 2073-2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा गुढाखुर्द पटवार क्षेत्र गुढाखुर्द भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां के खाता सं0 182 में दर्ज खसरा नम्बर 1627 रकबा 1.84, खसरा नम्बर 1631 रकबा 1.62, खसरा नम्बर 1638 रकबा 1.62, खसरा नम्बर 1639 रकबा 1.39, खसरा नम्बर 1640 रकबा 0.18, खसरा नम्बर 1645 रकबा 0.05, खसरा नम्बर 1660 रकबा 1.62, खसरा नम्बर 1661 रकबा 0.81, खसरा नम्बर 1661/2986 रकबा 0.80, खसरा नम्बर 1662 रकबा 0.80, खसरा नम्बर 165 रकबा 1.62, खसरा नम्बर 1666 रकबा 1.62, खसरा नम्बर 1669 रकबा 0.81, खसरा नम्बर 1675 रकबा 0.81, खसरा नम्बर 1685 रकबा 0.97, खसरा नम्बर 1691 रकबा 0.89, खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.52, खसरा नम्बर 1698/3063 रकबा 0.29, खसरा नम्बर 1712/2988 रकबा 0.81, खसरा नम्बर 1715 रकबा 0.95, खसरा नम्बर 1727 रकबा 0.18, खसरा नम्बर 1732 रकबा 0.36, खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.27, और खसरा नम्बर 1739 रकबा 0.22 कुल किता 24 कुल रकबा 21.05 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
उपनिवेश, अजमेर
क्षेत्र (कंकड़ी)